Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 24–2026] CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 11, 2026 (JYAISTHA 21, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2026

क्रमांक 876.– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि की सरकार द्वारा {माननीय सहायक न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग तोशाम) के दिनांक 08.01.2024 के आदेश और माननीय डी.जे. भिवानी के दिनांक 10.02.2026} के आदेश के कार्यान्वयन हेतु। सार्वजनिक व्यय पर एक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत निर्माण तोशाम हिसार रोड पुराना बाईपास तहसील तोशाम जिला भिवानी हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है।

यह अधिसूचना उन सभी के लिए है जो इससे सम्बंधित हो सकते है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन की गई है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस उपक्रम में इस समय लगे लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग शाखा हरियाणा के अधिकारियों को उनके कर्मचारियों व कामगारों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित तथा अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के भीतर अपने आक्षेप लिखित रूप में भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग शाखा भिवानी के समक्ष दायर कर सकता है।

इस अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण का प्लान व अन्य विवरण उपलब्ध है। किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका अवलोकन भूमि अर्जन समाहर्ता लो.नि.वि. भवन एवं मार्ग शाखा भिवानी अथवा कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल लो.नि.वि. भवन एवं मार्ग शाखा भिवानी जिला भिवानी में कर सकता है।

विशिष्ट

जिला	तहसील	गांव	हदबस्त नं०	कुल क्षेत्रफल कनाल–मरला	खसरा नं० किला नं०	क्षेत्रफल कनाल मरला
1	2	3	4	5	6	7
भिवानी	तोशाम	तोशाम	33	0–3	1437 सालम	0–2
					1438 मिन	0–1
					कुल रकबा	0–3

हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार

(हस्ता०)...,
अधीक्षक अभियन्ता,
भिवानी वृत्त लो.नि.वि भवन एवं मार्ग शाखा,
भिवानी।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS) BRANCH

Notification

The 5th June, 2026

No. 876.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that Land specified below is needed urgently **{For implementation of Hon'ble Court of ACJ (Sr. Division Tosham) order date 08.01.2024 as well as Hon'ble Court of D.J. Bhiwani order dated 10.02.2026}** to the public expenses for the public purpose, namely construction Road Tosham-Hisar Old By-pass Tehsil Tosham Distt. Bhiwani.

It is hereby notified that the land in the area described below is required for the above purpose.

This notification is made under the provision of sub-section (I) section 11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Act 2013) (Central Act 30 of 2013) to all to whom may concern.

In exercise of the powers conferred by aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorizes the officers of PWD (B & R) Department, Haryana with their employee & workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the area and to allow other Acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the area may, within a period sixty days (60 days) of the publication of this notification in the officials Gazette, file an objection, if any, in writing before the Land Acquisition Collector, Public Works Department (B & R) Branch Bhiwani.

The Plan of the land may be inspected in the offices of Land Acquisition Collector, Public Work Department (Building and Road Branch) Bhiwani and the Executive Engineer Provl. Divn. PWD B & R Br., Bhiwani.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Total Area in Kanal - Marla	Rectangle No. Killa No.	Area Kanal - Marla
1	2	3	4	5	6	7
Bhiwani	Tosham	Tosham	33	0-3	1437 Salam	0-2
					1438 Min	0-1
					Total	0-3

By the order of Governor of Haryana

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Bhiwani Circle, PWD B&R Br.,
Bhiwani.

12656—C.S.—H.G.P., Pkl.